



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली / Tel : 022-28294790
ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in
वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सं. सीपज़-सेज़/एडीएमएन/जीआई/588/2020-21/वॉल्यू.- II/21366 दिनांक 24.12.2021

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी,
विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में,
सीपज़-सेज़, मुंबई - 400096

विषय: "वर्क फ्रॉम होम" के लिए दिशानिर्देश

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर "वर्क फ्रॉम होम" के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। सेज़ नियम, 2006 के नियम 43 में महामारी के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः हम "वर्क फ्रॉम होम" के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। तदनुसार, विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अधिकार दिया जाता है कि वे नियम 50 और 51 के अनुसार माल को बाहर निकालने की अनुमति दे।

ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूनिट धारकों के साथ-साथ व्यापार निकायों से भी हमें 'वर्क फ्रॉम होम' से संबंधित कई विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फैक्टरी और कार्यालयों में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं ताकि 'वर्क फ्रॉम होम' की अवधि में उनका व्यवसाय चलता रहे। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है और यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह वेरिएंट यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में अन्य स्थितियों में सुधार हो रहा है, कोरोना के एक और नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सेज़ नियम, 2006 के नियम 43 के तहत 31.03.2022 तक 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति बढ़ाई जा रही है। मार्च, 2022 के महीने में स्थिति के आकलन करने के बाद 01.04.2022 से 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति वापस लिए जाने की संभावना है। यूनिट धारकों से इन परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाने का अनुरोध किया जाता है।

वे यूनिट जो आंशिक / पूर्ण क्षमता के साथ काम करने के इच्छुक हैं, वे चरणबद्ध तरीके से विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों को परिसर में अनुमति दी जा सकती है।

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियम 50 और 51 के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखें, ताकि व्यापार को कोई कठिनाई न हो।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि,

1. विआका/संविआका
2. नोटिस बोर्ड
3. आईटी अनुभाग- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीपेज विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली / Tel : 022-28294790
ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in
वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in



No. SEEPZ-SEZ/ADMN/GI/588/2020-21/VOL-II/21366

24.12.2021

All Specified Officers,
Under Jurisdiction of Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ, Mumbai – 400096

Subject: Guidelines for “Work From Home”

With reference to the above subject, this office has issued orders from time to time regarding “Work From Home” aligning the same with the Government of Maharashtra Guideline regarding the pandemic, as there is no limit prescribed in Rule 43 of SEZ Rule 2006. Accordingly, the Specified Officers have permitted the clearance of goods for this purpose in terms of Rule 50 & 51.

Various representations have been received from Unit holders as well as Trade Bodies representing them regarding the certainty of the period for ‘Work From Home’ for better planning of their operations. Also, there is a threat of Omicron variant of Corona Virus in Maharashtra as highest number of cases are noticed here. This variant is spreading fast in Europe also. Though, other conditions in this zone are improving, but due to the threat of new variant the ‘Work From Home’ permission in terms of Rule 43 of SEZ Rule 2006 is being extended till 31.03.2022. The ‘Work From Home’ permission is likely to be withdrawn w.e.f 01.04.2022 subject to assessment of situation in the month of March 2022. The Unit holders are requested to plan accordingly.

Those units who are willing to work with partial/full capacity may exercise the option in phased manner, following the Covid protocol and allow only fully vaccinated employees in the campus.

All Specified Officers are instructed to keep above directions in mind, while exercising their rights in terms Rule 50 & 51, so that no hardship is caused to the Trade.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-ESZ.

Yours faithfully,

(C.P.S. Chauhan)

Jt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

Copy To,

1. DCO/JDCO
2. Notice Board
3. IT Section for uploading on website